



2026:AHC-LKO:8901-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 77/2026

जितेन्द्र

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – हरिशंकर तिवारी, अजय तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।
2. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे के पास न्यायालय को यह सूचित करने के लिए लिखित निर्देश हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा 'चकमार्ग' का सीमांकन/निर्धारण कर दिया गया है और तत्पश्चात ब्लॉक विकास अधिकारी ने उप-जिलाधिकारी को लिखा है कि 15 दिनों के अंतर्गत यथा-अपेक्षित इंटरलॉकिंग और मृदा संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
3. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे द्वारा प्रस्तुत कथन के निबंधनों के अंतर्गत याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

5 फरवरी, 2026

एमवीएस/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।